

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवाजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 409 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त 2010—श्रावण 19, शक 1932

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2010

क्र. 4688-303-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 अगस्त 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २०१०.

### मध्यप्रदेश वेट ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, २०१०.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा ४ का संशोधन.
३. धारा ४-क और ४-ख का अंतःस्थापन.
४. धारा ९ का संशोधन.
५. धारा ११ का संशोधन.
६. धारा १४ का संशोधन.
७. धारा १७ का संशोधन.
८. धारा २०-क का संशोधन.
९. धारा २४-क, २४-ख और २४-ग का अंतःस्थापन.
१०. धारा ३९ का संशोधन
११. धारा ४६ का संशोधन.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २०१०.

### मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१०.

[दिनांक 9 अगस्त, 2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 10 अगस्त, 2010 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

#### मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ में,—

(एक) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(३) अपील बोर्ड एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में न्यायिक तथा लेखापाल सदस्यों से मिलकर बनेगा जितनी कि राज्य सरकार विनिश्चित करे.”;

(दो) उपधारा (५) के परन्तुक का लोप किया जाए;

(तीन) उपधारा (६) को उपधारा (१२) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (१२) के पूर्व, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“(६) बोर्ड का अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई ऐसा सेवानिवृत्त सदस्य होगा, जो राज्य सरकार में मुख्य सचिव या भारत सरकार में सचिव के समतुल्य पदधारण कर चुका हो और जिसे कर प्रशासन का अनुभव हो.

(७) कोई न्यायिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा का सदस्य रह चुका हो, या ऐसा व्यक्ति जो कम से कम दस वर्ष तक कर संबंधी मामलों का अधिवक्ता रह चुका हो. कम से कम एक न्यायिक सदस्य मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्य होगा.

(८) कोई लेखापाल सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में कम से कम दस वर्षों तक विक्रय कर/वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धन कर में लेखाकर्म का व्यवसाय कर चुका हो या जो मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का सदस्य रह चुका हो और कम से कम तीन वर्षों तक अपर आयुक्त या उसके समतुल्य या कोई उच्च पद धारण कर चुका हो. कम से कम एक लेखापाल सदस्य मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्य होगा.

(९) राज्य सरकार, बोर्ड के अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी; जो,—

(क) विजालिया न्यायनिर्णीत हो गया हो; या

(ख) ऐसे अपराध का जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित हो, सिद्धदोष ठहरा दिया गया है; या

- (ग) ऐसे सदस्य के रूप में मानसिक या शारीरिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या
- (घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या
- (ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो, जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो:

परन्तु अध्यक्ष को उपरोक्त खण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर राज्य सरकार द्वारा, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी कि वह इस निमित्त विहित करे, जांच कर लेने और अध्यक्ष को ऐसे आधार का दोषी पाए जाने पर के सिवाय उसके पद से नहीं हटाया जाएगा:

परन्तु यह और कि बोर्ड के किसी सदस्य को केवल अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् ही पद से हटाया जा सकेगा.

- (१०) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों में उनकी सेवा अवधि के दौरान उनको अलाभकारी रूप में कोई फेरफार नहीं किया जाएगा.
- (११) अध्यक्ष या कोई सदस्य जो पद पर नहीं रह जाता है, अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने, कार्य करने या पक्ष समर्थन के लिए पात्र नहीं होगा."

३. अध्याय २ में, मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

धारा ४-क और  
४-ख का  
अंतस्थापन.

"४-क. अपील बोर्ड के आदेश.

- (१) अपील बोर्ड, अपील के दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि वह उचित समझे.
- (२) अपील बोर्ड, आदेश की तारीख से चार कलैण्डर वर्ष के भीतर किसी भी समय, अभिलेख में दिखाई पड़ने पर किसी भूल का परिशोधन करने की दृष्टि से उपधारा (१) के अधीन उसके द्वारा पारित किए गए किसी आदेश को परिशोधित कर सकेगा, और ऐसे परिशोधन यदि भूल किसी व्यापारी या किसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसकी जानकारी में लाई जाती है, कर सकेगा:
- परन्तु ऐसा कोई परिशोधन, यदि उसका उद्देश्य कर निर्धारण में वृद्धि करना या प्रतिदाय में कमी करना या किसी व्यापारी के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करना हो, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपील बोर्ड ने ऐसा करने के अपने आशय की सूचना व्यापारी को न दे दी हो और व्यापारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो.
- (३) धारा ४६ की उपधारा (६) के अधीन आवेदन पर, अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के गुण-दोष पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिवस से अनधिक की कालावधि के लिए स्थगन आदेश पारित कर सकेगा और अपील बोर्ड, उस आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालावधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा:

परन्तु जहां ऐसी अपील का निपटारा स्थगन आदेश में विनिर्दिष्ट स्थगन की उक्त कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है वह अपील बोर्ड, व्यापारी द्वारा इस निमित्त प्रस्तुत किए गए आवेदन पर और वह समाधान हो जाने पर कि अपील के निपटारे में विलंब व्यापारी के कारण नहीं हुआ है, स्थगन की

कालावधि में वृद्धि कर सकेगा या ऐसी और कालावधि या कालावधियों के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, इस प्रकार स्थगन आदेश पारित कर सकेगा, जिससे कि मूलतः मंजूर की गई कालावधि और इस प्रकार बढ़ाई गई या मंजूर की गई कालावधि या कालावधियों का पूर्णयोग, किसी भी दशा में, तीन सौ पैसठ दिन से अधिक न हो और अपील बोर्ड इस प्रकार बढ़ाई गई या मंजूर की गई स्थगन की कालावधि या कालावधियों के भीतर अपील का निपटारा करेगा:

परन्तु यह और कि यदि ऐसी अपील का निपटारा इस उपधारा के अधीन मंजूर की गई कालावधि या प्रथम परन्तुक के अधीन बढ़ाई या मंजूर की गई कालावधि या कालावधियों के भीतर, जो कि किसी भी दशा में तीन सौ पैसठ दिन से अधिक नहीं होगी, नहीं होता है, तो ऐसी कालावधि या कालावधियों के समाप्त होने के पश्चात्, स्थगन आदेश, निष्प्रभावी हो जाएगा, भले ही अपील के निपटारे में विलंब व्यापारी के कारण नहीं हुआ हो.

- (४) किसी अपील के व्यय, यदि कोई हों, अपील बोर्ड के विवेक पर निर्भर करेगा.
- (५) अपील बोर्ड इस धारा के अधीन पारित किए गये किसी आदेश की प्रति व्यापारी और आयुक्त को भेजेगा.

#### ४-ख. अपील बोर्ड की प्रक्रिया.

- (१) अपील बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन अपील बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्यों में से गठित पीठों द्वारा किया जा सकेगा.
- (२) उपधारा (३) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, किसी खण्डपीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक लेखापाल सदस्य होगा.
- (३) एकल रूप में सुनवाई कर रहा अपील बोर्ड का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य किसी प्रकरण में जो ऐसे व्यापारी से संबंधित हो जिसका कुल राशि (टर्न ओवर) जैसी कि प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना की गई हो, साठ लाख रुपए से अधिक न हो, का निपटारा कर सकेगा, और अध्यक्ष, किसी विशेष प्रकरण में निपटारे के लिए तीन या अधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली विशेष पीठ गठित कर सकेगा जिनमें आवश्यक रूप से एक न्यायिक सदस्य और एक लेखापाल सदस्य होगा.
- (४) यदि किसी बिन्दु पर पीठ के सदस्यों की राय में कोई अंतर है तो वह बिन्दु बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा, यदि बहुमत तो है किन्तु यदि सदस्य बराबर-बराबर बंटे हों तो वे उस बिन्दु या बिन्दुओं का विवरण देंगे जिन पर कि उनकी राय में अन्तर है, और मामला अपील बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अपील बोर्ड के एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर सुनवाई के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं को अपील बोर्ड के उन सदस्यों के जिन्होंने कि मामले की सुनवाई की थी जिसमें वे सदस्य सम्मिलित हैं, जिन्होंने उसे पहले सुना था, बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा.
- (५) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, अपील बोर्ड को, उसकी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन में उद्भूत होने वाले समस्त मामलों के संबंध में अपनी स्वयं की तथा उसकी पीठों की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी इसमें वे स्थान भी सम्मिलित हैं जहां कि पीठें उनकी बैठकें करेंगी.
- (६) अपील बोर्ड को, उसके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए, वे समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो धारा ३ में निर्दिष्ट कर प्राधिकारियों में निहित हैं और अपील बोर्ड के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा १९३ और २२८ के अर्थ के अंतर्गत तथा

भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा १९६ के प्रयोजन के लिये न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और अपील बोर्ड, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का ३) की धारा १९५ तथा अध्याय ३५ के समस्त प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय भी समझा जाएगा.”

४. मूल अधिनियम की धारा ९ में,—

धारा ९ का संशोधन.

(एक) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(२) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट माल पर कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा, यदि उक्त माल का विक्रय उन तेल कम्पनियों जो कि अधिसूचित की जाएं, में से किसी एक के द्वारा अधिसूचित तेल कम्पनियों में से किसी एक को किया जाता है.”

(दो) उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(३) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस माल पर, जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, उन निर्बंधनों तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा यदि माल का विक्रय किसी संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा उसकी किसी नियंत्रक कंपनी को किया जाता है.”

५. मूल अधिनियम की धारा ११ में, उपधारा (१) में, शब्द “पचास लाख” के स्थान पर, शब्द “साठ लाख” स्थापित किए जाएं.

धारा ११ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १४ में, उपधारा (१-क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा १४ का संशोधन.

“(१-ख) ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ऐसे माल का विक्रय करता है जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, और व्यापारी, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर दूसरे ऐसे व्यापारी से, उसे आगत कर का भुगतान कर देने के पश्चात् क्रय किए गए माल का ऐसे अधिसूचित माल के विनिर्माण में उपयोग करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर की रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा, या उसे ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा. उपधारा (१) के खण्ड (क) के उपबंध, इस उपधारा के अधीन दावा किए गए या अनुज्ञात आगत कर की रिबेट को, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.”

७. मूल अधिनियम की धारा १७ में,—

धारा १७ का संशोधन.

(एक) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(४) (क) जिस दिन, उपधारा (१) या उपधारा (२) द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिये आवेदन प्राप्त होता है, उस दिन उक्त प्राधिकारी आवेदक को विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा.

(ख) खण्ड (क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाने के पश्चात्, आयुक्त, आवेदन में दी गई विशिष्टियों को ऐसे रीति में सत्यापित करेगा जैसी कि विहित की जाए.

- (ग) यदि आयुक्त का खण्ड (ख) के अधीन सत्यापन कर लेने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा उसके आवेदन में दी गई विशिष्टियां सही नहीं हैं या आवेदक ने कतिपय तथ्यों का दुर्व्यपदेशन किया है, तो वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और कारणों को लेखबद्ध कर लेने के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने की तारीख से, उपधारा (१०) के खण्ड (ग) या खण्ड (ड) के उपबंधों के अनुसार, खण्ड (क) अधीन आवेदक को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उसके जारी किए जाने की तारीख से जो तीन दिन से बाद की न हो, रद्द कर देगा.';
- (दो) उपधारा (१०) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(१०) जब—

- (क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा यह आवेदन दिये जाने पर कि उसका कारबार बंद हो गया है या अंतरित हो गया है, या आयुक्त स्वप्रेरणा से यह पाता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का कारबार बंद हो गया है या अंतरित हो गया है; या
- (ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा यह आवेदन दिये जाने पर कि उसका कर चुकाने का दायित्व समाप्त हो गया है, या आयुक्त स्वप्रेरणा से यह पाता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के अनुसार अव्यवहित पूर्व वर्ष में उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) धारा ५ के अधीन विहित सीमा से अधिक नहीं है; या
- (ग) आयुक्त स्वप्रेरणा से यह पाता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को, व्यापारी द्वारा दी गई गलत जानकारी के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंजूर कर दिया गया है; या
- (घ) आयुक्त स्वप्रेरणा से यह पाता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी पर इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन शोध्य कर या शास्ति या कोई अन्य राशि बकाया है, जो एक लाख रुपए से अधिक है और जो छह मास से अधिक बकाया बनी हुई है; या
- (ड) आयुक्त स्वप्रेरणा से यह पाता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उसके द्वारा लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से रद्द किया जाना चाहिए,

तो आयुक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर सकेगा :

परन्तु जहां आयुक्त इस उपधारा के अधीन किसी व्यापारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द करना प्रस्तावित करता है, वहां वह ऐसे व्यापारी को सुनवाई का अवसर देगा.'.

धारा २०-क का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा २०-क में, उपधारा (१-क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(१-ख) उपधारा (१) और (१-क) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि ऐसी अपेक्षाओं, निर्बन्धनों और शर्तों के, जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, अध्यधीन रहते हुए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का कर निर्धारण धारा २० की उपधारा (१) के प्रयोजन के लिये कर दिया गया समझा जाएगा.”

९. मूल अधिनियम की धारा २४ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

धारा २४-क,  
२४-ख और २४-ग  
का अंतःस्थापन.

“२४-क वाणिज्यिक कर निपटारा प्राधिकरण.

- (१) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २ सन् १९५९) (निरसित अधिनियम), मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ५ सन् १९९५) (निरसित अधिनियम), मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) और मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्रमांक ५२ सन् १९७६) के अधीन मामलों के निपटारे के लिए वाणिज्यिक कर निपटारा प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन कर सकेगी.
- (२) वाणिज्यिक कर विभाग का भारसाधक मंत्री निपटारा प्राधिकरण का अध्यक्ष (चेयरमेन) होगा.
- (३) निपटारा प्राधिकरण में वित्त, विधि और विधायी कार्य तथा वाणिज्यिक कर विभाग प्रत्येक से सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि सम्मिलित होगा जो सचिव की पदश्रेणी से कम का नहीं होगा.
- (४) आयुक्त, वाणिज्यिक कर निपटारा प्राधिकरण का सदस्य सचिव होगा.

“२४-ख मामलों के निपटारे के लिये आवेदन

- (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २ सन् १९५९) (निरसित अधिनियम), मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ५ सन् १९९५) (निरसित अधिनियम), मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) और मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्रमांक ५२ सन् १९७६) के अधीन यदि कर, ब्याज और शास्ति की किसी रकम के संबंध में,—

- (एक) किसी व्यापारी द्वारा कोई विवाद प्रस्तुत किया जाता है और विवाद उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु लंबित है;
  - (दो) यदि अधिनियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन पारित किसी आदेश के कारण किसी व्यापारी को कठिनाई हो रही है, तो ऐसा व्यापारी निपटारा प्राधिकारी को कर, ब्याज और शास्ति की रकम को निपटारे के लिये आवेदन कर सकेगा.
- (२) रकम के निपटारे के लिये आवेदन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, प्रस्तुत किया जाएगा जैसी कि विहित की जाए.
  - (३) व्यापारी,—
    - (एक) उपधारा (१) के खण्ड (एक) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की दशा में अविवादित कर की संपूर्ण रकम और विवादग्रस्त कर की राशि के पच्चीस प्रतिशत का;
    - (दो) उपधारा (१) के खण्ड (दो) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की दशा में कर की संपूर्ण रकम का,

भुगतान आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व करेगा.

## “२४-ग. आवेदन के प्राप्त होने पर प्रक्रिया.

- (१) निपटारा प्राधिकारी, निपटारे के लिये प्रस्तुत किए गए प्रत्येक आवेदन पर व्यापारी को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, व्यापारी द्वारा देय रकम में सम्मिलित उद्गृहीत किए गए संपूर्ण ब्याज या उसके किसी भाग और शास्ति में छूट प्रदान करने के संबंध में समुचित आदेश पारित करेगा.
- (२) निपटारा प्राधिकारी, व्यापारी द्वारा उसको किए गए आवेदन और अनुरोध पर, यदि कोई हो, विचार करेगा और उसके पश्चात् आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली राशि का विनिश्चय करेगा.
- (३) व्यापारी, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण वापस लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति निपटारा आदेश जारी होने के पूर्व, निपटारा प्राधिकारी के समक्ष, प्रस्तुत की जाएगी.
- (४) यदि उपधारा (२) के अधीन जमा किए जाने के लिए अपेक्षित रकम व्यापारी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गई है, तो निपटारा प्राधिकारी निपटारा आदेश पारित करेगा. यदि जमा की गई रकम, निपटारा प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की गई रकम से कम है, तो शेष रकम, व्यापारी द्वारा, ऐसे समय के भीतर जो कि निपटारा प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाए, जमा की जाएगी. शेष रकम जमा कर दिए जाने का प्रमाण प्राप्त होने पर, निपटारा प्राधिकारी, निपटारा आदेश पारित करेगा.
- (५) निपटारा प्राधिकारी, प्रत्येक आवेदन पर निपटारा आदेश छोड़ी गई ब्याज और शास्ति की शेष रकम दशति हुए पारित करेगा.
- (६) निपटारा प्राधिकारी, जब वह उचित समझे मामले को प्रत्यावर्तित कर सकेगा.
- (७) निपटारे के किसी आदेश को आवेदक द्वारा उस मामले से भिन्न किन्हीं मामलों में, जिसमें कि निपटारा आदेश पारित किया गया है, किसी दावे का आधार नहीं बनाया जाएगा.
- (८) इस धारा के अधीन निपटारा आदेश पारित कर दिए जाने के पश्चात् विभाग द्वारा प्रशासित किसी भी अधिनियम के अधीन, आवेदक के विरुद्ध, कोई दण्डकारवाई प्रारम्भ नहीं की जाएगी. इसके बाद व्यापारी भी किसी अधिनियम के अधीन किसी रकम की वापसी या अन्य कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा.

धारा ३९ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ३९ में, उपधारा (२) में, शब्द “चालीस लाख” के स्थान पर, शब्द “साठ लाख” स्थापित किए जाएं.

धारा ४६ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ४६ में,—

(एक) उपधारा (८) में, खण्ड (ख) में, शब्द “अपील बोर्ड, अपील फाईल करने की तारीख से एक कलैण्डर वर्ष के भीतर उसका लिखित में आदेश सुनाने का प्रयास करेगा” के स्थान पर, शब्द “अपील बोर्ड, प्रत्येक अपील का निपटारा, अपील फाईल करने की तारीख से दो कलैण्डर वर्ष के भीतर करेगा” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (८-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(८-ख) मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१० के प्रारंभ होने की तारीख को अपील बोर्ड के समक्ष लंबित अपीलों का निपटारा, अपील बोर्ड द्वारा उपधारा (८) में विनिर्दिष्ट कालावधि या ऐसे प्रारंभ से एक कलैण्डर वर्ष की कालावधि जो भी बाद में हो, के भीतर किया जाएगा.”



भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2010

क्र. 4689-303-इक्कीस-अ-(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 20 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH VAT (SECOND AMENDMENT) ACT, 2010.

TABLE OF CONTENTS.

**Sections :**

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 4.
3. Insertion of Section 4-A and 4-B.
4. Amendment of Section 9.
5. Amendment of Section 11.
6. Amendment of Section 14.
7. Amendment of Section 17.
8. Amendment of Section 20-A.
9. Insertion of Section 24-A, 24-B and 24-C.
10. Amendment of Section 39.
11. Amendment of Section 46.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH VAT (SECOND AMENDMENT) ACT, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 9th August, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10th August, 2010].

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Second Amendment) Act, 2010.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of  
Section 4.

2. In Section 4 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the Principal Act),—

(i) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(3) The Appellate Board shall consist of a Chairman and such number of Judicial and Accountant members as the State Government may decide.”;

(ii) proviso to sub-section (5) shall be omitted; and

(iii) sub-section (6) shall be renumbered as sub-section (12) and before sub-section (12) as so renumbered, the following sub-sections shall be inserted, namely:—

“(6) The Chairman of the Board shall be a retired member of the Indian Administrative Service who has held a post equivalent to the Chief Secretary of the State Government or Secretary to the Government of India and has experience of tax administration.

(7) Judicial members shall be the person who has been a member of Madhya Pradesh Higher Judicial Service or a person who has been an advocate dealt in tax matters for at least ten years. At least one Judicial member shall be a serving or retired member of the Madhya Pradesh Higher Judicial Service.

(8) Accountant members shall be the person who has been in practice of accountancy in Sales Tax/Commercial Tax/ Value Added Tax, as a Chartered Accountant for at least ten years, or who has been a member of the Madhya Pradesh State Taxation Service and has held the post of Additional Commissioner or equivalent or a higher post for at least three years. At least one accountant member shall be a serving or retired member of Madhya Pradesh State Taxation Service.

(9) The State Government may remove from office, the Chairman or a member of the Board who—

- (a) has been adjudged an insolvent, or
- (b) has been convicted of an offence which in the opinion of the State Government, involves moral turpitude, or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as such member, or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member, or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that the Chairman shall not be removed from his office on the ground specified in clauses (d) and (e) above except on an enquiry held by the State Government in accordance with such procedure as it may prescribe in this behalf and finds the Chairman to be guilty of such ground:

Provided further that any member of the Board may be removed from the office, only after the consultation with the Chairman.

(10) The terms and conditions of the service of the Chairman and the members of the Board shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

(11) The Chairman or any member ceasing to hold office shall not be eligible to appear, act or plead before any authority appointed under the Act.”.

3. After Section 4 of the principal Act, the following Sections shall be inserted in Chapter II, namely:—

Insertion of  
Section 4-A and  
4-B.

**“4-A. Orders of Appellate Board.**

(1) The Appellate Board may after giving both the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders thereon as it thinks fit.

(2) The Appellate Board may, at any time within four calendar years from the date of order, with a view to rectify any mistake apparent in the record, rectify any order passed by it under sub-section (1), and may make such rectification if the mistake is brought to its notice by the dealer or the Assessing officer:

Provided that no such rectification shall be made if it has the effect of enhancing an assessment or reducing a refund or otherwise increasing the liability of a dealer, unless the Appellate Board has given notice to the dealer of its intention to do so and has allowed the dealer a reasonable opportunity of being heard.

(3) On an application under sub-section (6) of Section 46, the Appellate Board may, after considering the merits of the application made by the dealer, pass an order of stay for a period not exceeding one hundred and eighty days from the date of such order and the Appellate Board shall dispose of the appeal within the said period of stay specified in that order:

Provided that where such appeal is not so disposed of within the said period of stay as specified in the order of stay, the Appellate Board may, on an application made in this behalf by the dealer and on being satisfied that the delay in disposing of the appeal is not attributable to the dealer, extend the period of stay, or pass an order of stay for a further period or periods as it thinks fit; so, however, that the aggregate of the period originally allowed and the period or periods so extended or allowed shall not, in any case, exceed three hundred and sixty-five days and the Appellate Board shall dispose of the appeal within the period or periods of stay so extended or allowed:

Provided further that if such appeal is not disposed of within the period allowed under this sub-section or the period or periods extended or allowed under the first proviso, which shall not in any case, exceed three hundred and sixty-five days, the order of stay shall stand vacated after the expiry of such period or periods, even if the delay in disposing of appeal is not attributable to the dealer.

(4) The cost, if any, in an appeal shall be at the discretion of the Appellate Board.

(5) The Appellate Board shall send a copy of any order passed under this Section to the dealer and to the Commissioner.

**4-B. Procedure of Appellate Board**

- (1) The powers and functions of the Appellate Board may be exercised and discharged by Benches constituted by the Chairman of the Appellate Board from among the members thereof.
- (2) Subject to the provisions contained in sub-section (3), a Division Bench shall include at least one judicial member and one accountant member.
- (3) The Chairman or any other member of the Appellate Board may, sitting singly, dispose of any case which pertains to a dealer whose total turnover as computed by the Assessing Officer in the case does not exceed rupees sixty lacs and the Chairman may for the disposal of any particular case, constitute a Special Bench consisting of three or more members, one of whom shall necessarily be a judicial member and one an accountant member.
- (4) If the members of a Bench differ in opinion on any point, the point shall be decided according to the opinion of the majority, if there is a majority, but if the members are equally divided, they shall state the point or points on which they differ, and the case shall be referred by the Chairman of the Appellate Board for hearing on such point or points by one or more of the other members of the Appellate Board, and such point or points shall be decided according to the opinion of the majority of the members of the appellate Board who have heard the case, including those who first heard it.
- (5) Subject to provisions of this Act, the Appellate Board shall have power to regulate its own procedure and the procedures of benches thereof on all matters arising out of the exercise of its powers or of the discharge of its function, including the places at which the Benches shall hold their sittings.
- (6) The appellate Board shall, for the purpose of discharging its functions, have all the powers which are vested in the taxing authorities referred to in Section 3, and any proceeding before the appellate Board shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and for the purpose of Section 196 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), the Appellate Board shall also be deemed to be a civil court for all the purposes of Section 195 and Chapter XXXV of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974)."

**Amendment of Section 9.****4. In section 9 of the principal Act.—**

(i) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, no tax shall be levied on goods specified in Schedule II, if the goods are sold by any one of the oil companies, as may be notified, to any one of the notified oil companies.”;

(ii) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, no tax shall be levied on such goods as may be notified by the State Government, subject to such restrictions and conditions as may be specified in the notification, if the goods are sold by a joint venture company to its holding company.”.

5. In Section 11 of the Principal Act, in sub-section (1), for the words "fifty lacs", the words "sixty lacs" shall be substituted. **Amendment of Section 11.**

6. In Section 14 of the Principal Act, after sub-section (1-A), the following sub-section shall be inserted, namely:— **Amendment of Section 14.**

"(1-B) Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, where a registered dealer sells the goods as may be notified by the State Government, and the dealer consumes the goods purchased by him within the State of Madhya Pradesh from another such dealer after payment to him input tax, in the manufacture of such notified goods, he shall claim or be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such tax. The provisions of clause (a) of sub-section (1) shall mutatis mutandis apply to the input tax rebate claimed or allowed under this sub-section."

7. In section 17 of the Principal Act.— **Amendment of Section 17.**

(i) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(4) (a) On the day the application for grant of a registration certificate as required by sub-section (1) or sub-section (2) is received, the said authority shall grant the applicant a registration certificate in the prescribed form.

(b) After issue of the registration certificate under clause (a), the Commissioner shall verify the particulars given in the application in such manner as may be prescribed.

(c) If the Commissioner on verification under clause (b), is satisfied that the particulars given by the applicant in his application are incorrect or that the applicant has misrepresented certain facts, he shall, after giving the applicant an opportunity of being heard and recording the reasons in writing, cancel the registration certificate issued to the applicant under clause (a) in accordance with the provisions of clauses (c) or clause (e) of sub-section (10) from the date of its issued, not later than thirty days of the date of receipt of the application."

(ii) for sub-section (10), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(10) When-

(a) on an application by a registered dealer that his business has been discontinued or transferred, or the Commissioner on his own motion finds that a registered dealer has discontinued or transferred his business; or

(b) on an application by a registered dealer that his liability to pay tax has ceased, or the Commissioner on his own motion finds that as per the returns submitted by a registered dealer, his turnover in the immediate previous year has not exceeded the limit prescribed under section 5; or

(c) the Commissioner on his own motion finds that a registered dealer has been granted a registration certificate on the basis of the incorrect information furnished by the dealer; or

(d) the Commissioner on his own motion finds that a registered dealer is in arrears of tax or penalty or any other sum due under this Act or under the Act repealed by this Act, which is more than rupees one lac and which remains outstanding for more than six months; or

(e) the Commissioner on his own motion finds that the certificate of a registered dealer should be cancelled for reasons to be recorded in writing by him,

the Commissioner may cancel the registration certificate.

Provided that where the Commissioner proposes to cancel the registration certificate of a dealer under this sub-section, he shall give the dealer an opportunity of being heard."

Amendment of section 20A.

8. In section 20-A of the Principal Act, after sub-section (1-A), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-B) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) and (1-A), the State Government may, by notification, provide that assessment of a registered dealer subject to such requirements, restrictions and conditions as may be specified in the notification, shall be deemed to have been made for the purpose of sub-section (1) of Section 20."

Insertion of section 24A-24B & 24C.

9. After Section 24 of the Principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

**"24-A. Commercial tax settlement Authority.**

- (1) The State Government may constitute an Authority to be called the Commercial Tax Settlement Authority for the settlement of cases under the Madhya Pradesh General Sales Tax Act, 1958 (No. 2 of 1959) (repealed Act) Madhya Pradesh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995) (Repealed Act) Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976).
- (2) The minister in charge of the Commercial Tax Department shall be the Chairman of the Settlement Authority.
- (3) The Settlement Authority shall include one representative each from the Finance, Law and Legislative Affairs and Commercial Tax Department not below the rank of the Secretary as memembr.
- (4) The Commissioner, Commercial Tax shall be the member Secretary of the Settlement Authority.

**24-B. Application for settlement of cases.**

- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, if any amount of tax, interest and penalty under the Madhya Pradesh General Sales Tax Act, 1958 (No. 2 of 1959) (repealed Act) the Madhya Pradesh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995) (repealed Act) the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Madhya Pradesh Sthaniya kshetra Me Mal Ke Pravesh Par kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976),—
  - (i) is disputed by a dealer and the dispute is pending before the High Court for adjudication;
  - (ii) hardship is being caused to a dealer due to any order passed under any of the provisions of the Act.

the dealer may apply for the settlement of the amount of tax, interest and penalty to the Settlement Authority.

- (2) an application for the settlement of the amount shall be submitted in the form and the manner as may be prescribed.
- (3) The dealer shall pay,—
  - (i) the undisputed amount of tax in full and twenty five percent of the disputed amount of tax, in case of application under clause (i) of sub-section (1);
  - (ii) the full amount of tax, in case of application under clause (ii) of sub-section (1), before submission of the application.

#### **24.-C. Procedure on receipt of an application**

- (1) The settlement Authority shall pass an appropriate order, including waiver of the whole or part of the interest and the penalty levied and included in the amount payable by the dealer, on every application for settlement after affording an opportunity of hearing to the dealer.
- (2) The Settlement Authority shall consider the application and the submissions, if any made before them by the dealer and thereafter decide the amount to be deposited by the applicant.
- (3) The dealer shall submit an application for withdrawal of the case pending before the High Court and a copy thereof shall be submitted to the Settlement Authority before the issue of order of settlement.
- (4) If the amount required to be deposited under sub-section (2), has already been deposited by the dealer, the Settlement Authority shall pass an order of settlement. If the amount deposited is less than the amount decided by the Settlement Authority, the balance amount shall be deposited by the dealer within the time as may be decided by the Settlement Authority. On receipt of proof of payment of the balance amount, the Settlement Authority shall pass an order of settlement.
- (5) The Settlement Authority shall pass a settlement order on every application indicating the balance amount of interest and penalty waived on settlement.
- (6) The Settlement Authority may remand the case wherever it thinks fit.
- (7) An order of settlement shall not form the basis for any claim by the applicant in cases other than the case in which such settlement order has been passed.
- (8) No penal action against the applicant under any Act administered by the department shall be initiated after an order of settlement has been passed under this section. The dealer also shall not be entitled to refund of any amount of any other benefit under any Act afterwards.”.

10. In section 39 of the Principal Act, in sub-section (2), for the words “forty lacs”, the words “sixty lacs” shall be substituted.

**Amendment of section 39.**

**Amendment of  
section 46.****11. In section 46 of the Principal Act,—**

(i) in sub-section (8), in clause (b), for the words “the Appellate Board shall make an endeavour to pronounce its order in writing within one calendar year from the date of filing of appeal”, the words “the Appellate Board shall dispose of every appeal within two calendar years from the date of filing of appeal” shall be substituted;

(ii) after sub-section (8-A), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(8-B) The appeals pending before the Appellate Board on the date of commencement of Madhya Pradesh Vat (Second Amendment) Act, 2010 shall be disposed of by the Appellate Board within the period specified in sub-section (8) or the period of one calendar year following such commencement, whichever is later.”.